प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 03.09.2024

जनपद चन्दौली

---पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा चलाया गया सघन चेकिंग अभियान:देर रात की संदिग्धों वाहनों की चेकिंग, क्षेत्र का किया भ्रमण

---तीन थानो कि पुलिस बल के साथ चकिया तिराहा पर एसपी ने खंगाले वाहन, चालकों को दिये हिदायत।

---साथ ही जनपदीय शांति व सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों के ड्यूटी प्वॉइंट को भी किया गया चेक।

चन्दौली। पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा सोमवार की देर रात्रि बिना पूर्व सूचना के रात्रि में औचक निरीक्षण कर बिहार बॉर्डर के नौबतपुर से पड़ाव तक जनपदीय शांति एवं सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के ड्यूटी प्वॉइंट को चेक किया गया।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा देर रात थाना अलीनगर अन्तर्गत चकिया तिराहे पर थाना मुगलसराय थाना अलीनगर व थाना बबुरी की पुलिस टीम के साथ संयुक्त संदिग्ध वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चला कर की संदिग्धों वाहनों की चेकिंग किया गया। जहां पर दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों की तलाशी ली गई तथा कागजों की जांच की गई। पुलिस ने बिना हेलमेट, ट्रिपलिंग कर रहे बाइक सवारों के चालान काटकर यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही चार पहिया वाहनों की सघन चेकिंग कर बिना सीट बेल्ट एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की दशा में वाहन चालकों के चालान काटे।

यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक

इस विशेष चेकिंग अभियान के दौरान आमजन को यातायात नियमों को पालन करने के प्रति जागरूक किया गया। जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, अवयस्क को वाहन न चलाने दें।

वाहन चेकिंग के बाद पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा देर रात भारी पुलिस बल के साथ जनपद में भ्रमण कर संदिग्धों की जांच की। भ्रमण के उपरांत सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र के सभी शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनको सख्त हिदायत भी देने की निर्देश भी दिये

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 03.09.2024

जनपद चन्दौली

□ अपराधियों एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हर तत्व के विरुद्ध चन्दौली पुलिस का लगातार एक्शन।

□ पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में चला विशेष अभियान 15 अभियुक्तो को गिया गया गिरफ्तार।

चन्दौली । पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में कानून एंव शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में एक दिवसीय अभियान चलाकर NBW,वंछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया था। दिये गये निर्देश के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन श्री अनिल कुमार यादव व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह के साथ समस्त क्षेत्राधिकारीगण जनपद चन्दौली के कुशल पर्वेक्षण/निर्देशन में अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने थानों के पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही व तलाश वांछित अभियुक्तगण के क्रम में 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना चकिया-

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण व उनका आपराधिक इतिहास-

1.जमालुद्दीन पुत्र करीमुल्ला निवासी पुराना वार्ड नं. 5 वर्तमान वार्ड 12 कस्बा चकिया थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.नसरूद्दीन पुत्र वलीउल्लाह निवासी पुराना वार्ड नं. 5 वर्तमान वार्ड 12 कस्बा चकिया थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.मो0 मुस्तफा पुत्र जमालुद्दीन निवासी पुराना वार्ड नं. 5 वर्तमान वार्ड 12 कस्बा चकिया थाना चकिया जनपद चन्दौली

4.चिल्लर पुत्र जोखू बनवासी निवासी सीता ताली थाना चकिया जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास-

1.एनबीडब्लू सी एन नं0 127/96 बनाम जमालुदीन आदि 03 नफर अन्तर्गत धारा 353 , 186,427,506 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2.एनबीडब्लू से सी एन नं0 844/98 बनाम चिल्लर अन्तर्गत धारा 26 वन अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.हे0का0 दयाशंकर पटेल थाना चकिया जनपद चन्दौली

4.का0 विनय प्रताप थाना चकिया जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.लड्डू यादव उर्फ मंजीत यादव पुत्र नन्दु यादव उर्फ नन्दलाल यादव निवासी ग्राम धरौली थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.बाबूलाल पुत्र बुद्दु निवासी ग्राम बरठी कमरौर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

3 प्रकाश बिन्द पुत्र राधे बिन्द निवासी ग्राम बरठी कमरौर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

पंजीकृत अभियोग-

मु.नं.-1099/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

2- उ0नि0 राकेश प्रताप सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

3-उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

4-हे.का. शिवशंकर बिन्द थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

5.का. प्रमोद कुमार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

6.का. अनिल यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

थाना धीना-

गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता व अपराधिक इतिहास-

1.फिरोज पुत्र मुहर्रम नि0 डिग्घी थाना धीना जनपद चन्दौली

सम्बन्धित -मा0 न्या0 प्रधान न्यायधीश परिवार न्या0 द्वारा निर्गत गिरफ्तारी परिपत्र प्रकीर्ण वाद संख्या 723/2022 शबनम बनाम फिरोज धारा 128 सीआरपीसी थाना धीना जिला चन्दौली।

2.बृजेश राय पुत्र चन्द्रमा राजभर नि0 ग्राम इनायतपुर थाना धीना जनपद चन्दौली

संबंधित केस नं0-85/22 ज्योति देवी बनाम बृजेश राय धारा 125(3) बीएनएस r/w 421 सीआरपीसी न्या0 परिवार न्या0 कैमूर भभुआ बिहार।

3सुखराज पुत्र हरिहर निवासी लखईपुर थाना धीना जनपद चन्दौली

संबंधित न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड चन्दौली वाद संख्या 56/22 अ0सं0 63/22 धारा 363/366 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 सतीश प्रकाश चौकी प्रभारी कमालपुर थाना धीना जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 तरुण कुमार कश्यप चौकी प्रभारी महुजी थाना धीना जनपद चन्दौली

4.हे0का0 सुरेन्द्र कुमार थाना धीना जनपद चन्दौली

5.का0 अनुराग सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली

6.का0 अजीत प्रचेता थाना धीना जनपद चन्दौली

7.का0 अंकित वर्मा थाना धीना जनपद चन्दौली।

थाना चन्दौली-

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता–

1-वारण्टी रिंकु कुमार पुत्र स्व0 रविन्द्र कुमार निवासी दरवेशपुर थाना व जिला चन्दौली।

2-आशुतोष सिह पुत्र स्व0 वशिष्ठ नरायण सिह निवासी महेन्द्र कालेज के बगल मे कस्बा चन्दौली थाना व जिला चन्दौली।

अपराध विवरण वारण्टी -

1-अ0स0 55/20 विघुत वाद सं0 388/20धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चन्दौली जिला चन्दौली।

2-अ0स0 545/20 विघुत वाद सं0 217/23 धारा 135 विद्दुत अधि0 थाना चन्दौली जिला चन्दौली।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1 उ0नि0 सूरज सिह थाना व जिला चन्दौली

2 उ0नि0 दुर्गेश यादव थाना व जिला चन्दौली

3 का0 राजकुमार सरोज   थाना व जिला चन्दौली

4 का0 इन्द्रजीत यादव थाना व जिला चन्दौली

थाना अलीनगर-

गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता–

भरत पुत्र रामकृत निवासी ग्राम सदलपुरा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण वारण्ट –

मु0नं0 2334/14 धारा 447/451/323/504/506 भादवि

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

1.उ0नि0 वरुणेन्द्र राय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2.का0 दीपक पटेल थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

थाना शहाबगंज-

गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता -

1.नन्हे उर्फ श्यामनारायण पुत्र शिवराज ग्राम मसोई थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली हालपता पचपरा थाना इलिया जनपद चन्दौली।

अपराधिक इतिहास-

मु0नं0-748/2024, धारा 26/41/42/51/52 F Act

वारण्टी की गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष मिर्जा रिजवान बेग

2.का0 दीपक कुमार

3.चालक/हे0का0 रविन्द्र शुक्ला।

थाना चकरघट्टा-

नाम पता अभियुक्त-

1.रामअधार पुत्र स्व0 सरनाम नि0ग्राम0 सोनवार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र 70 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

मु0नं0 526/94 धारा 25/30 आर्म्स एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 विनोद कुमार वर्मा चौकी प्रभारी मझगाई थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।

2.एचजी अरविन्द कुमार थाना चकरघट्टा जिला चन्दौली।

प्रेस-नोट   जनपद चन्दौली

दिनांक-03.09.2024

◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान

◆बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों व अलार्म की भी परखी जा रही व्यवस्था

◆बैंक ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

चन्दौली- जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाग्हें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नही, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डयूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 03.09.2024

थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

थाना चन्दौली पर 02 अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट तहत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर की जा रही लगातार कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर, राजेश राय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 03/09/2024 को थाना कोतवाली चन्दौली द्वारा चोरी, पशुक्रुरता, गौवध जैसे मुकदमों से सम्बंधित 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गई।

अभियुक्तों का विवरण -

1-मुकद्दर शाह पुत्र रफीक शाह नि0वार्ड नं0 5 डाक बंगला रोड थाना थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

2-चन्दन सिंह पुत्र स्व0 विजय बहादूर सिंह नि0 ग्राम बिसौरी थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

अपराधिक इतिहास 1.मुकद्दर शाह पुत्र रफीक शाह नि0वार्ड नं0 5 डाक बंगला रोड थाना थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

1-मु0अ0सं0-152/18 धारा 379,411 भादवि थाना बबुरी।

2- मु0अ0सं0-158/18 धारा 41/411 भादवि थाना बबुरी।

3- मु0अ0सं0-403/18 धारा 379,411 भादवि थाना अलीनगर ।

4-मु0अ0सं0-126/19 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 थाना सैयदराजा।

5-मु0अ0सं0-50/20 धारा 379,411,40,467,468,471 भादवि थाना शहाबगंज।

6-मु0अ0सं0-84/20 धारा 307 भादवि व 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 थाना इलिय़ा।

7-मु0अ0स0-190/20 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 थाना चकिया।

8-मु0अ0स0-191/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया।

9-मु0अ0स0-192/20 धारा 307 भादवि थाना चकिया।

10-मु0अ0स0-201/21 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 थाना-चकिया।

11-मु0अ0स0-202/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया

आपराधिक इतिहास

2-चन्दन सिंह पुत्र स्व0 विजय बहादूर सिंह नि0 ग्राम बिसौरी थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

1-मु0अ0सं0 151/05 धारा 323,504,506 भादवि थाना चन्दौली

2-मु0अ0सं0 159/13 धारा 392,411 भादवि थाना चन्दौली

3-मु0अ0सं0 164/13 धारा 394 भादवि थाना चन्दौली

4-मु0अ0सं0 176/13 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दौली

5-मु0अ0सं0 107/14 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नि0 अधि0 थाना चन्दौली

6-मु0अ0सं0 75/15 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना चन्दौली

7-मु0अ0सं0 366/17 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना चन्दौली

8-मु0अ0सं0 35/20 धारा 147,148,323,504,506 भादवि थाना चन्दौली

9-मु0अ0सं0 88/21 धारा 147,323 भादवि थाना चन्दौली

10-मु0अ0सं0 99/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दौली

11-मु0अ0सं0 116/24 धारा 504,506 भादवि थाना चन्दौली।

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 03.09.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

अलीनगर पुलिस टीम द्वारा वेल्डिंग व पाईप सीमेन्ट की दुकान से चोरी की गयी नगदी व दो लोहे की चादर बरामद तथा चोरी में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार

वेल्डिंग व पाईप सीमेन्ट की दुकान से नगदी व दो लोहे की चादर की चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

थाना अलीनगर पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर सागर पेट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार करने में मिली सफलता

घटनाक्रम- मुकदमा वादी हनुमान मौर्या पुत्र जगतनारायण ग्रा0 तारापुर पो0 सदलपुरा थाना अलीनगर चन्दौली की उनके गांव तारापुर मे वेल्डिंग व पाईप सीमेन्ट की दुकान से दिनांक 18.08.2024 की रात को उनके दुकान से (80000रु0/-) अस्सी हजार रूपया नगद व दो चादर की सीट अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 210/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने व प्रभावी तरीके से चेकिंग किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली सदर विनय कुमार सिंह, व आशुतोष क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के पर्यवेक्षण में विनोद कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक अलीनगर के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.09.2024 को करीब 10.15 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/24 धारा 305/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त विकास उर्फ उर्फ मालगुजारी उर्फ लंगड़ पुत्र श्याम नारायण निवासी ग्राम तारापुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को सागर पेट्रोल पम्प के बगल निर्माणाधीन मकान के पास दबिश देकर पकड़ लिया गया। अभियुक्त के निशानदेही पर दो अदद लोहे की चादर वजन करीब 30 से 35 किग्रा व जामा तलाशी से चोरी के 1330 /- रुपया बरामद हुआ। उक्त चोरी के सम्बन्ध में थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2024 से सम्बन्धित माल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर धारा 305/331(4) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ अभियुक्तगण- अभियुक्त से पूछताछ करने पर बता रहा है कि बाकी पैसे खर्च हो गया है। लोहे की चादर के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि मै चोरी के चादर को पोखरे में रखा हूँ। अभियुक्त की निशानदेही पर स्थानीय लड़को की मदद से पानी के अन्दर से उक्त चोरी के दोनो चादर को बरामद किया गया।

गिरफ्तारी बरामदगी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक – 03.09.2024

समय – 10.15 बजे

स्थान- सागर पेट्रोल पम्प के बगल निर्माणाधीन मकान के पास थाना क्षेत्र अलीनगर जनपद चन्दौली।

अभियुक्तगण का नाम पता व अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 210/24 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. विकास उर्फ उर्फ मालगुजारी उर्फ लंगड़ पुत्र श्याम नारायण निवासी ग्राम तारापुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ0नि0 वरुणेन्द्र राय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 दीपक पटेल थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हो0 बिन्दू सिंह चौहान थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-03.09.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली जनता दर्शन में आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं

□जनता की समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर करे निस्तारण

□जनता से प्राप्त प्रत्येक प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में स्वयं थानाप्रभारियों से वार्ता कर दिए निर्देश

चन्दौली-जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 03.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया। जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों के आवेदन लेकर उन्हें न्यायोचित/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का गुणवक्ता के साथ निस्तारित करना व न्याय दिलाना ही चन्दौली पुलिस की प्राथमिकता है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थानाक्षेत्रों से आए आवेदकों की शिकायतो को जनसुनवाई के माध्यम से गंभीरतापूर्वक सुना एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) थाना प्रभारी से स्वयं वार्ता कर आवेदक की शिकायत का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों/आवेदकों/ फरियादियों के साथ शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार किया जाए व प्रत्येक आवेदक की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनाकर उसका गुण दोष के आधार पर सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद-06, परिवारिक विवाद सम्बन्धित 04, अन्य विवाद-20 कुल-30 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनके निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया।

जनपद चन्दौली

पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण

महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त

समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग की गयी।

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.09.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

प्रेस नोट-दिनांकः 03.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 03.09.2024 को कुल 54 वाहनों का चालान करते हुए 87,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 54 वाहनों का चालान करते हुए 87,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों

को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्लघन का प्रकार   चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-02

2 बिना इंश्योरेन्स के वाहन चलाना-01

3 बिना हेलमेट- 13

4 नो पार्किंग- 17

5 गलत नम्बर प्लेट- 03

6 वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग- 01

7 गलत दिशा में वाहन चलाना-13

8 सीट बेल्ट-01

9 बिना फिटनेस- 01

10 अन्य- 02

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 03.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-54

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-87,500/- रूपयें।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.09.2024

जनपद चन्दौली

□जनपदीय पुलिस द्वारा सर्राफा व्यवसायियों को दिलाया गया सुरक्षा का एहसास

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में एक विशेष अभियान चलाकर जनपद के समस्त थानों व चौकियों की पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले सर्राफा व्यापारियों की दुकानों पर जाकर व्यापारीगण से वार्ता की गयी और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति भी परखी गई। साथ ही सभी सर्राफा व्यापारियों से यह अपील की गई कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आप सभी अपने-अपने व्यावसायिक दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाये व उन्हें हमेशा चालू हालात में रखें।

उपरोक्त अभियान के क्रम में थाना चन्दौली-30,थाना सैयदराजा-14,थाना कन्दवा-03, थाना मुगलसराय-35, थाना अलीनगर-08, थाना बबुरी-27, थाना सकलडीहा-27,थाना बलुआ-08, थाना धानापुर-00,थाना धीना-20,थाना चकिया-15,थाना शहाबगंज -21,थाना इलिया-07,थाना नौगढ़-02, व थाना चकरघट्टा-02 द्वारा कुल 219 दुकानों पर जाकर वार्ता का सीसीटीवी कैमरे की स्थिति की जानकारी ली गयी।

प्रेस नोट दिनांक-03.08.2024

थाना बलुआ जनपद चंदौली

□थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा 01 चेन स्नैचर को 01 चेन के साथ किया गिरफ्तार

चंदौली:-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बलुआ के कुशल नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 146/24 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्ता नीतू पत्नी चन्दन निवासिनी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को एक चेन पीली धातु के साथ बाबा कीनाराम मेला कुआं रामसागर के पास रामगढ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

संक्षिप्त विवरण घटनाः– दिनांक 02.08.2024 को थाना बलुआ पर वादिनी मुकदमा निर्मला देवी पत्नी ओपेनु गुप्ता निवासी धानापुर मिश्रान टोला वार्ड न0- 7 थाना धानापुर जनपद चन्दौली के गले से चेन काटकर बाबा कीनाराम मेला रामगढ से किसी अज्ञात महिला द्वारा चोरी कर लिया गया था। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 146/24 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्ता नीतू उपरोक्त के गिरफ्तारी व उसके पास से माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण- 1.नीतू पत्नी चन्दन निवासिनी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष

विवरण बरामदगीः- 01 चेन पीली धातु का

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता- मु0अ0सं0- 146/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-1.थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली 2.उ0नि0 धर्मदेव यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली 3.का0 कुलभूषण सरोज थाना बलुआ जनपद चन्दौली 4.म0का0 सीमा थाना बलुआ जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-03.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत धारा 457,380,411 भादवि के सम्बन्ध में दोषसिद्ध 05 अभियुक्तों को मा0 न्यायलय द्वारा सुनाई गई सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सी.डि.)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी को को जेल में बितायी गयी अवधि व 30000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 09.07.2004 को धारा 457,380,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.भिक्खू राम पुत्र राम आधार निवासी चकरण्डा थाना गहमर जिला गाजीपुर 2.लालचन्द्र पुत्र किशुन राम निवासी सुहवल थाना सुहवल जिला गाजीपुर 3.राम बचन पुत्र जमुना निवासी नौली थाना सुहवल जिला गाजीपुर 4.रामचन्द्र पुत्र मेवा लाल विश्वकर्मा निवासी मडईपुर थाना चुनार जनपद मिर्जापुर 5.इन्द्रजीत राम पुत्र सहदेव राम निवासी मनीया थाना गहमर जिला गाजीपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 54/2004 धारा 457,380,411 भादवि थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना धीना के पैरोकार मुख्य आरक्षी राम प्रवेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-03.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार सिविल जज (सी.डि.)/एसीजेएम जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.भिक्खू राम पुत्र राम आधार निवासी चकरण्डा थाना गहमर जिला गाजीपुर 2.लालचन्द्र पुत्र किशुन राम निवासी सुहवल थाना सुहवल जिला गाजीपुर 3.राम बचन पुत्र जमुना निवासी नौली थाना सुहवल जिला गाजीपुर 4.रामचन्द्र पुत्र मेवा लाल विश्वकर्मा निवासी मडईपुर थाना चुनार जनपद मिर्जापुर 5.इन्द्रजीत राम पुत्र सहदेव राम निवासी मनीया थाना गहमर जिला गाजीपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 30000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-03.09.2024

जनपद: चन्दौली

चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगमी त्योंहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।